समाहरणालय–लखीसराय

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

अल्पकालीन निविदा

संभावित बाढ़ 2019 से निपटने हेतु राहत सामग्रियों की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए निम्नांकित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु तत्काल दर निर्धारण के लिए इच्छुक फर्मो/प्रतिष्ठानों/आपूर्तिकर्त्ताओं से दिनांक–19.06.2019 को 03:00 बजे अपराह्न तक मुहर बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन 03:30 बजे अपराह्न निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें प्रत्येक निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति वांछित होगी। आवश्यक साहाय्य सामग्रियों की सूची निम्न प्रकार है :–

क्र0	सामग्री का नाम	साईज/गुणवत्ता	विवरणी	सामग्री की मात्रा
1	2	3	4	5
1	दिया सलाई	मंझोला साईज	दर प्रति पैकेट (12) सं0	आवश्यकतानुसार
2	मोमबत्ती	लम्बाई 8.5 इंच, गोलाई 2.5 इंच		आवश्यकतानुसार
3	चुड़ा	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
4	गुड़	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
5	आयोडीन नमक	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
6	चना	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
7	आटा	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
8	चीनी	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
9	सत्तु चना का	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
10	प्लास्टिक थैला	5 किलो एवं 2.5 किलो	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
11	चावल	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
12	दाल (अरहर,चना,मूंग,मसूर)	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल (अलग–अलग)	आवश्यकतानुसार
13	सरसो तैल (ब्राण्डेड)	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल (अलग–अलग)	आवश्यकतानुसार
14	मसाला– जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनियॉ, गोल मिर्च पाउडर	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल (अलग–अलग)	आवश्यकतानुसार
15	आलू/प्याज	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल (अलग–अलग)	आवश्यकतानुसार
16	जनरेटर भाड़े पर इंधन/ऑपरेटर सहित 5 के0वी0, 10 के0वी0	प्रति दिन 8 घंटा चलने के आधार पर राहत शिविर तक पहूँचाकर		आवश्यकतानुसार
17	सभी प्रकार के जेनरेटर से जलने वाले लाईट (भाड़े पर/20W एवं उपर)	प्रति दिन के दर से		आवश्यकतानुसार
18	पेट्रोमेक्स	प्रत्येक दिन के दर से		आवश्यकतानुसार
19	वाटरप्रूफ टेन्ट/पंडाल (भाड़े पर)	प्रति दिन के दर से मजदूर सहित		आवश्यकतानुसार
20	खाना बनाने/परोसने/पानी पिलाने का सभी प्रकार का बर्तन (भाड़े पर)	प्रति दिन के दर से (एक रसोईया एवं चार मजदूर सहित)		आवश्यकतानुसार
21	जलावन की लकड़ी सुखी हुई	प्रति क्वींटल		आवश्यकतानुसार
22	खाना बनाने का गैस चूल्हा (भाड़े पर)	प्रति दिन के दर से		आवश्यकतानुसार
23	दरी सभी साईज का (भाड़े पर)	प्रति दिन के दर से		आवश्यकतानुसार
24	धोती	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
25	साड़ी	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
26	गंजी	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
27	लूंगी	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
28	गमछा	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
29	थाली (स्टील)	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
30	कटोरा (स्टील)	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
31	ग्लास (स्टील)	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार

निविदा की आवश्यक शर्त्ते :—

1. निविदादाताओं अथवा संबंधित फर्म यह निविदा मात्र दर निर्धारण हेतु है, आवश्यक साहाय्य सामग्रियों की आवश्यकता पड़ने पर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
2. प्रत्येक निविदादाता को 15,000=00 (पन्द्रह हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट समाहर्त्ता, लखीसराय के नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखीसराय में भुगतेय संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सील बन्द लिफाफे में डालेंगे। तकनीकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
4. निविदा के साथ माल एवं सेवाकर अधिनियम (GST) के अन्तर्गत निबंधन प्रमाण पत्र एवं विगत दो वर्षो का वार्षिक दाखिल विवरणी की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति तथा आयकर से संबंधित पैन कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. अद्यतन आयकर/रिटर्न स्वच्छता प्रमाण पत्र बिहार Shop Establishment Act में निबंधन प्रमाण पत्र फर्म का बैंक खाता संख्या को दर्शाने के लिए कैसिल्ड चेक की प्रति संलग्न करना होगा। निविदादाता को उनके फर्म प्रतिष्ठान के किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किए जाने संबंधित शपथ पत्र एवं फर्म के प्रोपराईटर का अद्यतन आचारण प्रमाण संलग्न करना होगा।
6. वित्तीय निविदा में सामग्रियों का दर सभी कर/अधिभार एवं जिला/प्रखंड मुख्यालय तक सामग्री को पहुँचाने के लिए परिवहन व्यय आदि सहित अंकित करना होगा। वित्तीय निविदा में कटिंग या ओभर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
7. निविदादाता को कहीं भी काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदा के साथ अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर प्रमाण पत्र, वैट निबंधन, आयकर निबंधन प्रमाण पत्र आदि के प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदा में सभी सामग्रियों की सभी करों सहित दर स्पष्ट करना आवश्यक होगा।
10. निविदा खोलने के दिन सभी सामग्रियों का नमूना निविदादाता लायेंगे ताकि उनकी गुणवत्ता एवं वजन आदि की जॉच की जा सके।
11. विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जायेगा। अपरिहार्य कारण से भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार के सूद की राशि देय नहीं होगी।
12. स्वीकृत निविदाकर्त्ता द्वारा उपलब्ध ससमय आपूर्ति नहीं की जाने अथवा स्वीकृत नमूना के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्री का भुगतान/अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।
13. स्वीकृति की गई निविदा के निविदादाताओं को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के 24 घंटे के अन्दर नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति करेंगे एवं आवश्यकता के अनुसार लखीसराय जिले के सभी अंचल मुख्यालय तक पहुँचायेंगे। इसके लिए अलग से कोई परिवहन शुल्क या अन्य चार्जेज देय नहीं होगा।
14. स्वीकृति की गई निविदा के निविदादाता नमूना के अनुसार सामग्रियों का भण्डारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे।
15. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
16. स्वीकृति किये गये नमूने के अनुरूप सामग्रियों की ससमय आपूर्ति नहीं किए जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्रियों का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही इसे काली सूची में डाला जाएगा।
17. स्वीकृति निविदाकर्त्ता के द्वारा ससमय सामग्री आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं का स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर आपूर्ति की जा सकती है।
18. स्वीकृति निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाता की जमानत राशि शीघ्र ही वापस कर दी जाएगी।
19. बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

विशेष जानकारी के लिए जिला लखीसराय के बेवसाईट– http://lakhisarai.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।